DDG(H)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1091—1097

Dated : 6-9-2014

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उपमहानिदेशक (बागबानी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उपमहानिदेशक (बागबानी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उपमहानिदेशक (बागबानी) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन बैंड एवं वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो अन्य व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उसे लिखित रूप में रिकार्ड करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपमहानिदेशक (बागबानी)	1* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा निदेशक (बागबानी), जिसने वेतन बैंड-4, (37400-67000 रु.) और 8700 रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और उच्चतर प्रशासन तथा कानूनी मामलों पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** यदि किसी अधिकारी को प्रोन्नति के विचार के क्षेत्र में शामिल किया जाता है और किसी प्रशासनिक कारणों से उन्हें प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जा सका, वे प्रोन्नति हेतु विचार के पात्र रहेंगे, पर इस शर्त के अध्यधीन ऐसे अधिकारी प्रोन्नति की तारीख से एक साल के अंदर प्रशिक्षण करेंगे । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे जयेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(1) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (2) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु. या समकक्ष में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दो वर्ष की नियमित सेवा की हो या (3) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु. या समकक्ष में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और

(11)
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान कृषि में विशिष्टता सहित कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान कृषि विज्ञान में फ्लोरिकल्चर या ओलेरिकल्चर सहित एम. एस.सी. डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री जिसमें उद्यान कृषि एक विषय के रूप में हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या उद्यान कृषि में बी.एस.सी. डिग्री के साथ भू-दृश्यन वास्तुकीय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फ्लोरिकल्चर और भू-दृश्यन में मास्टर डिग्री; और (2) उद्यान कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के सजावटी उद्यान कार्य सहित उद्यान में 15 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के वे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी संगठन/विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति हेतू न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा तत्स्थानी ग्रेड या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक या एक से अधिक से पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान या एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद को विस्तारित किया गया है जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) सचिव या विशेष सचिव या अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय —सदस्य (3) महानिदेशक या विशेष महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

[फा.सं. 50/4/2005-एस एवं डी-ई डब्ल्यू-1]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव (ई डब्ल्यू-1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Deputy Director General (Horticulture) Group 'A' post Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General (Horticulture) in the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Deputy Director General (Horticulture) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director General (Horticulture)	1* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 and Grade Pay of Rs.10000	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Director (Horticulture) : In Pay Band-4 (37400 - 67000) and Grade Pay of Rs. 8700 with three years regular service in the grade and have successfully completed two week's training course on Higher Administration and Legal Matters. **Note 1:-** If any officer included in the field of consideration for promotion could not be released for training due to any administrative reasons, he/she shall continue to be eligible for consideration for promotion, subject to the condition that such officer shall undergo training within a period of one year from the date of promotion. **Note 2 :-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibilit service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note-3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation :-** Officers under the Central Government or the State Governments or the Union territory administration :-

3540 UD/14-2

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-4 (Rs. 37400 - 67000) and grade pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-4 (Rs.37400 - 67000) and grade pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience : -

(i) M. Sc. in agriculture with specialization in Horticulture from a recognized University or Institute; or M.Sc. in Horticulture with Floriculture or Olericulture from a recognized University or Institute; or M. Sc. in Botany with Horticulture as a subject from a recoginzed University or Institute; or B.Sc. in agriculture or Botany or Horticulture with master's degree in land-scape architecture from a recognized university or institute or Master degree in Florifulture and landscaping from a recognized, university or institute and

(ii) fifteen years' experience in Horticulture including Ornamental Gardening ranging over various fields of Horticulture,

Note 1 :-The Departmental officers In the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly. deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:- Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3 :- For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended. shall be deemed to be service rendered in the corresponding except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)		Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.
(I) Chairman or Member, Union Public Service Commission	—Chairman	
(II) Secretary or Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Urban Development	—Member	
(III) Director General or Special Director General or Additional Director General, Central Public Works Department	—Member	

[F. No. 50/4/2005-S&D EW-1]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy. (EW-1)

MGIPRRND—3540 UD/2014—100 Copies.